

गहलोत के अंधे विरोध के कारण ई.आर.सी.पी. प्रोजेक्ट बरसों लटका और अनाप-शनाप महंगा हो गया

लागत अनाप-शनाप बढ़ गई, क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिए केवल प्रावधान करके छोड़ दिया और प्रोजेक्ट को टालते रहे

- उन्होंने केन्द्र सरकार की मदद शायद इसलिए ठुकराई, क्योंकि तब जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्री थे और गहलोत को लगता था कि इस पर शेखावत को वाहवाही मिलेगी।
- फिर, गहलोत ने चुनावी साल के अपने बजट में 9,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा कर दी, पर, वित्त विभाग ने एक फूटी कौड़ी भी आवंटित नहीं की और सिंचाई विभाग को अपने स्तर पर बजट जुटाने को कहा गया।
- इसके बाद शुरू हुआ जमीनों और रेत बेचने का सिलसिला और भारी भ्रष्टाचार का खेल। सार यह है कि ई.आर.सी.पी. का गहलोत ने राजनैतिक खिलौना बना डाला व चहेती कम्पनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया।

—नेगू मित्तल—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 12 सितंबर। पूर्वी राजस्थान के तेरह जिलों की ई.आर.सी.पी. योजना को पांच साल तक लटकाने का काम अशोक गहलोत ने किया था, करना जोधपुर सांसद और उस समय के जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सलाह मानकर ई.आर.सी.पी. को मोदी सरकार के समय घोषित नदी जोड़ो परियोजना पी.के.सी. (पार्वती कालीसिंध चंबल) के साथ जोड़ने की सहमति दे दी होती तो मोदी सरकार को इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करना पड़ता और 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र से आता एवं आज ई.आर.सी.पी. का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका होता क्योंकि तब मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सहमति दे दी होती जैसे कि आज मोहन यादव ने दी है।

राजा जब जलसिंचाई का रास्ता अखिरावर कर ले तो प्रजा के हित को सर्वोपरि न माने तो वही हालत होती है जो आज इन तेरह जिलों की जनता की हो रही है।

बहरहाल, अशोक गहलोत ने जितने चुनावी साल में ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा की और 9000

शुरू करना चाहती थी जबकि गहलोत को अच्छी तरह केन्द्र की सहायता के बिना इतनी बड़ी परियोजना का काम सुचारु रूप से आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

इसी जितने गहलोत ने दो बांध और कुछ नहरों के निर्माण का टेंडर आमंत्रित कर लिया और जब में नहीं होने के कारण एच.ए.एम. मॉडल पर टेंडर आमंत्रित किए। इस मॉडल में सब कुछ डिजाइन कंपनी को करना है लेकिन सरकार काम पूरा होने तक 40 प्रतिशत पैसा देगी जबकि 60 प्रतिशत पैसा सरकार इस अवधि से 20 साल तक ब्याज के साथ हर साल देगी। आखिर करोड़ों रुपए का यह ब्याज जनता क्यों भुगतने जा रही है जब केन्द्र सरकार अब एम.ओ.यू. करवा चुकी है और 90 प्रतिशत राशि केन्द्र देने को तैयार दिखाई दे रहा है।

लंबोलीआब यही है कि ई.आर.सी.पी. को एक राजनीतिक खिलौना तो गहलोत बना ही चुके हैं लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी कंपनी के साथ सांठगांठ करके उसे भारी आर्थिक लाभ देने के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर गए, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया कार्टेल साफ दिखाई देता है।

लाल मोषाण ने उस समय आरोप लगाए और वर्तमान विधानसभा में सादलपुर विधायक मनोज न्यागली ने भी मुद्दा उठाया।

इतना ही नहीं गहलोत सरकार शहरों के बीच स्थित सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीनों नीलाभा करने की विज्ञापियों जारी करने लगी क्योंकि वह केन्द्र सरकार की सहायत बिना 50000 करोड़ की योजना का काम

लाल मोषाण ने उस समय आरोप लगाए और वर्तमान विधानसभा में सादलपुर विधायक मनोज न्यागली ने भी मुद्दा उठाया।

'उन्हें ढोल-ताशे बजाने दो'

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 12 सितंबर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी. वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच) के उस आदेश पर स्टे दे दिया, जिसमें पुणे में भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ढोल-ताशे-झांझ समूहों में 30 लोगों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी।

महाराष्ट्र सरकार, पुणे प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य को नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा, "लोगों को ढोल-ताशा बजाने दो, यह तो पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।"

ग्रीन ट्रिब्यूनल की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच के आदेश पर स्टे देते हुए, अदालत ने कहा, "(एन.जी.टी.के) निर्देशों से वे लोग प्रभावित होंगे, जो गणेशोत्सव के दौरान ढोल-ताशा बजाते हैं। एन.जी.टी. की निर्देश संख्या 4 पर स्टे रहेगा। उन्हें ढोल-ताशा बजाने दो। यह पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।"

ग्रीन ट्रिब्यूनल की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच के आदेश पर स्टे देते हुए, अदालत ने कहा, "(एन.जी.टी.के) निर्देशों से वे लोग प्रभावित होंगे, जो गणेशोत्सव के दौरान ढोल-ताशा बजाते हैं। एन.जी.टी. की निर्देश संख्या 4 पर स्टे रहेगा। उन्हें ढोल-ताशा बजाने दो। यह पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।"

■ **सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान ढोल ताशे बजाने वाले समूहों में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है।**

याचिकाकर्ताओं, जिनमें 'युवा वाद्य पाठक ट्रस्ट' भी शामिल है, की ओर से प्रस्तुत एडवोकेट ने कहा कि 'ढोल-ताशे' का पुणे के गणेश उत्सव के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। इस उत्सव को होते 100 वर्ष से अधिक समय हो गया।

30 अगस्त को, एन.जी.टी. की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच ने आदेश दिए थे कि निर्देशों के एक हिस्से के रूप में, पुणे के विसर्जन जुलूस के दौरान तथा गणेश-पांडालों के ईद-गिर्द शोर की मॉनिटरिंग हो, जिससे न सितंबर से शुरू हुए इस 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित रहे।

एन.जी.टी. ने लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण लगाते हुए कहा था कि एक पंडाल में कुल 100 वॉट की क्षमता से ज्यादा लाउडस्पीकर नहीं होंगे। इसके अलावा, टोल (धातुनिर्मित अत्यधिक शोर करने वाली यूनिट) तथा डी.जे. सैट भी विसर्जन जुलूसों में निषिद्ध होंगे। अन्य निर्देशों में, ढोल-ताशा-जंग बजाने वाले किसी भी ग्रुप में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने का निर्देश शामिल था।

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्याइन्ट मॉडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, अय्यड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायन हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाउस, हनुमान हाउस, हनुमान फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डानसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डानसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

डॉ. मोहन भागवत 13 से जयपुर प्रान्त के प्रवास पर

जयपुर, 12 सितंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, जयपुर प्रांत में प्रवास के क्रम में 13 सितंबर, शुक्रवार शाम को अलवर पहुंचेंगे। वे 17 सितंबर तक अलवर रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत के प्रांत संघचालक महेन्द्रसिंह मग्गो ने बताया कि डॉ. भागवत इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में सम्मिलित होंगे और दायित्ववाहन कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पन्द्रह सितंबर को प्रातः इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयंसेवकों के एकत्रिकरण कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। तत्पश्चात् 17

- **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों ने बताया कि डॉ. भागवत 13 से 17 सितंबर तक जयपुर प्रान्त में प्रवास पर रहेंगे और संगठन के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।**

सितंबर को अलवर से पावटा जाएंगे, जहां महामुत्युंज महायज्ञ में सम्मिलित होंगे। इसी दिन शाम को पावटा से प्रस्थान करेंगे।

प्रांत संघचालक ने बताया कि कार्यकर्ताओं के प्रबोधन और उनकी संभाल की दृष्टि से सरसंघचालक देशभर में नियमित प्रवास होता है। इसी क्रम में जयपुर प्रांत का प्रवास है। सन् 2025 में आ रहे संघ के शताब्दी वर्ष में संघ कार्य के विस्तार एवं समाज परिवर्तन के कार्यों को गति प्रदान करने और कार्यकर्ताओं का प्रबोधन जैसे विषयों पर भी वे चर्चा करेंगे।

सीता की विनम्रता व दोस्ताना...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

बोल सकते थे, उनकी भाषा इतनी सरल थी कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी को भी समझ में आ जाती थी। अगर माकपा उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनती तो वे प.बंगाल से जीत जाते, जहाँ कांग्रेस उनका समर्थन करने के लिए तैयार थी। राजनैतिक हलकों में माना जाता था कि येशुरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकार थे और इंडिया गठबंधन के पीछे उनका बड़ा हाथ था।

12 अगस्त 1952 में चेन्नई में जन्मे येशुरी तेलुगू भाषी परिवार के थे। उनके पिता सर्वेश्वर सोमायाजुला येशुरी आंध्र प्रदेश परिवहन निगम में इंजीनियर थे, उनकी मां कल्याणम येशुरी सरकारी आफसर थीं। हैदराबाद में पले बड़े येशुरी ने दसवीं तक अॉल सेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी।

वर्ष 1969 में तेलंगाना आंदोलन के कारण वे दिल्ली आए, जहाँ उन्होंने प्रेसीडेंसी स्टाफ एस्टे ब्लू में एडमिशन लिया और सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स) किया और फिर जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। दोनों बार उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वे जे.एन.यू. से ही पीएच.डी. कर रहे थे, पर आपातकाल में गिरफ्तारी की वजह से उन्हें रिसर्च छोड़नी पड़ी।

येशुरी 1974 में माकपा की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.आई.) में शामिल हुए थे और इसीलिए 1975 में लगे आपातकाल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपातकाल के बाद वे जे.एन.यू. छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने और प्रकाश करार ने जे.एन.यू. को समाजवादी-वामपंथी गढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सन् 1978 में येशुरी एस.एफ.आई. के अखिल भारतीय

अध्यक्ष चुने गए। पहली बार केरल व बंगाल से बाहर का कोई व्यक्ति एस.एफ.आई. का अध्यक्ष बना था। वर्ष 1984 में माकपा का संविधान संशोधित हुआ और पांच सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठित किया गया, जिसमें येशुरी, प्रकाश करार, सुनील मोईत्रा, पी. रामचंद्रन, एस. रामचंद्रन, पिल्लै जैसे युवा नेता शामिल किए गए थे, जिन्हें पोलिट ब्यूरो के निर्देशानुसार काम करना था।

1992 में माकपा की चौदहवीं कांग्रेस में येशुरी को पोलिट ब्यूरो का सदस्य बनाया गया और 19 अप्रैल 2015 में विशाखापट्टनम में हुई 21वीं कांग्रेस में वे पार्टी के पांचवें महासचिव बनाए गए। उनसे पहले प्रकाश करार महासचिव थे, जो 2005 से 2015 तक तीन कार्यकाल तक माकपा के महासचिव रहे। हैदराबाद में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल 2018 से तब हुई कांग्रेस में उन्हें दोबारा महासचिव चुना गया। उसके बाद करूर में हुई कांग्रेस में अप्रैल 2022 में उन्हें तीसरी बार माकपा महासचिव चुना गया।

येशुरी पूर्व महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत की गठबंधन निर्माण विरासत के पक्षधर थे। उन्होंने 1996 में चिदंबरम के साथ मिलकर 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था और 2004 में यू.पी.ए. के निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी। येशुरी पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के भी प्रमुख थे और अक्सर समाजवादी देशों की यात्रा पर जाने वाले पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा होते थे।

येशुरी ने बी.बी.सी. के साथ काम कर चुकी सीमा चित्ती से शादी की थी। उन्होंने पूर्व पत्नी इंद्राणी मजूमदार से एक बेटा और बेटी थीं। उनकी पुत्री अखिला यू.के. में पढ़ाती हैं। उनके पुत्र का 2021 में कोविड के कारण 34 साल की उम्र में

देहांत हो गया था। येशुरी की जे.एन.यू. पृष्ठभूमि के कारण मेरा उनसे परिचय हुआ था। अशोक रोड पर माकपा ऑफिस में जब मैं प्रकाश करार से मिलने गया था, तब मेरी येशुरी से बात हुई थी। मेरे जे.एन.यू. छोड़ने के कई सालों बाद येशुरी जे.एन.यू. में आए थे। मैं जे.एन.यू. से पूर्वी जर्मनी की हमबोल्ट युनिवर्सिटी चला गया था। सीता ने जब मुझे करार के कक्ष से बाहर निकलते देखा तो वे मेरे पास आए तथा खुद का परिचय जे.एन.यू. के छात्र के रूप में दिया। उनकी विनम्रता ने मेरा दिल छू लिया और तब से हम दोस्त बन गए। मेरी तरफ से उन्हें अशुभंशी श्रद्धांजलि।

मांड्या में ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)
उस शोभायात्रा पर पथर फेंके गए हैं। और शौन्नह ही, इस खबर ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया।

मांड्या जिले, जिसके अन्दर उक्त गाँव स्थित है, के बहुत से दुकानदारों ने नैतिकता कि झगड़ों के दौरान, उनकी दुकानें भी तोड़ी गयीं। पुलिस का कहना है कि झड़पें उस समय शुरू हुईं, जब शोभायात्रा एक धार्मिक स्थल से गुजरते वक्त धीमी हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, शोभायात्रा उस पूजा-स्थल के पास स्थिर बनी रही तथा कथित रूप से, इस स्थिति के कारण झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस के अनुसार, अब स्थिति नियन्त्रण में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। मांड्या में 14 सितम्बर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर कहा, "मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वह हमें सहयोग प्रदान करे तथा उत्तेजना का शिकार हुए बिना, स्वयं को नियंत्रित रखे एवं शान्ति बनाये रखे।"

राज्य के गृहमन्त्री ज़ी परमेश्वर ने कहा कि यह घटना उत्तेजना के कारण हुई। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों के 52 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सी.सी.टी.वी. फुटेज की समीक्षा करने के बाद, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जायेंगे। मांड्या जिले के प्रभारी मन्त्री एन.चेलुवैया स्वामी ने कहा कि अब स्थिति शांतिपूर्ण तथा नियन्त्रण में है। भाजपा और जे.डी. (एस.) ने तुरन्त ही इस घटना का राजनीतिकरण कर दिया। विधानसभा में आरोप लगाया कि गणेश प्रतिमा के जुलूस पर हुआ हमला "तुष्टिकरण की राजनीति का नतीजा है।"

ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की पेशकश ...

न्यायालय के उस आदेश की खुली अवज्ञा दर्शा दी है, जिसमें उन्हें काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को अपनी ओर से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से ले लिया था तथा डॉक्टरों को उनका काम फिर से शुरू कर देने के निर्देश दिए थे।

लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने अपना आन्दोलन जारी रखा तथा अपनी पंच सूत्रीय माँग को पूरी तरह स्वीकार किए जाने की माँग पर जमे रहे। उनकी मुख्य माँग यह है कि कोलकाता के आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज में एम.डी. की तैयारी कर रही उनकी युवा सहकर्मी लेडी डॉक्टर के हत्यारों की पहचान तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाये।

इस जूनियर डॉक्टर को भयंकर

से मुलाकात से इन्कार कर दिया। ममता बनर्जी ने टी.बी. चैनलों पर मीटिंग रिकॉर्ड करवाने से इन्कार कर दिया। जूनियर डॉक्टर इस बात से बखूबी परिचित हैं कि मुख्यमंत्री मीटिंग के व्योरे को अपने हिसाब से तोड़फाड़ तथा धामक तरीके से जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसलिए, डॉक्टर लाइव टैलिक्कास्ट की माँग कर रहे हैं।

मेडिकल समुदाय अमृतपूर्व एकता प्रदर्शित कर रहा है तथा आज तो राज्य के सीनियर डॉक्टरों ने भी जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़े होने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी माँगों के आगे नहीं झुकती है तो सीनियर्स भी काम रोक देंगे तथा उनका साथ देंगे।

मेडिकल समुदाय ने सर्वोच्च

यातनाएं दी गई थीं तथा उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य सरकार ने वह सब करने की कोशिश की, जो वह साक्ष्यों को नष्ट करने तथा इस केस को दबा देने के लिए कर सकती थी।

चूँकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के साथ ही, पुलिस मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री भी हैं, इसलिए रेप और मर्डर के केस की जाँच-पड़ताल तथा साक्ष्यों के रखरखाव की मुख्य जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। मृत डॉक्टर के शव का अन्तिम संस्कार आनन-फानन में कर दिया गया तथा साक्ष्यों को समाप्त करने के लिए, अपराध-स्थल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

केस की जाँच की जिम्मेदारी सी.बी.आई. को सौंप दी गई, जो कि

स्थानीय पुलिस पर विश्वास के अभाव का प्रतीक है। लेकिन एक महीने के बाद भी, एक पैरा पुलिसकर्मी के अलावा, हत्या में लिप्त एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वस्तुतः पैरा पुलिस की सम्भावित लिप्तता के बारे में परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही है तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग बातें कही गई हैं।

देश उन महान सपुतों को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निःस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट कार्य किया है।

— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री




देश उन महान सपुतों को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निःस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट कार्य किया है।

— नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आपदा प्रबंधन हेतु निःस्वार्थ सेवा को सम्मान

●● नामांकन आमंत्रण ●●

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025

आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

कोई भी व्यक्ति एवं संस्था आवेदन कर सकते हैं।

पुरस्कारों की घोषणा 23 जनवरी 2025 को की जाएगी

नामांकन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।

अधिक जानकारी एवं नामांकन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल <https://awards.gov.in> पर जाएं





राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार

Follow us on: [f](#) @NDMA.in [x](#) @ndmaindia [awards.gov.in](#) or [ndma.gov.in](#) [YouTube](#) /NDMAIndia

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्याइन्ट मॉडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, अय्यड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायन हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाउस, हनुमान हाउस, हनुमान फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डानसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डानसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908